महाराष्ट्र राज्य

बनाम

राजू भास्कर पोटफोडे

18 जुलाई 2007

(डा अरिजीत पासायत और पी.पी. नौलेकर, जे.जे.)

दण्ड संहिता 1860 धारा 302 हत्या-अभियुक्त ने अभियोजन पक्ष के गवाहो, मृतक के करीबी रिश्तेदारो की उपस्थिति में मृतक की हत्या की-प्रथम सूचना रिपोर्ट-आरोप पत्र-विचारण न्यायालय द्वारा पी0डी0 2. के साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को धारा 302 भा.द.सं. के तहत दोषी ठहराते हुये आजीवन कारावास की सजा दी-उच्च न्यायालय द्वारा पी0डी0 2 के साक्षी की सत्यता पर संदेह करते हुये अभियुक्त को बरी किया गया-अपील में यह अभिनिर्धारित किया गया कि घायल को पी0डी0 2 द्वारा अस्पताल नही ले जाया गया बल्कि अन्य लोगो द्वारा ले जाया गया-पी0डी0 2 द्वारा पुलिस को घटना की जानकारी नही दी गई परन्तु अपने घर के लिये रवाना हो गया- उच्च न्यायालय द्वारा पी0डी0 2 के ऐसे आचरण को अप्राकृतिक मानकर सही विवेचन किया है-यधपि अनुसंधान अधिकारी द्वारा पी0डी0 2 के बयान घटना की दिनांक को लेखबद्व किया जाना जाहिर किया है परन्तु

स्वयं पी0ड0 2 द्वारा यह कथन किया है कि उसके बयान उस दिन लेखबद्व नहीं किये गये थे-ऐसी परिस्थितियों में उच्च न्यायालय द्वारा पी0ड0 2 की उपस्थिति घटना के समय अत्यधिक संदिग्ध मानते हुये उसकी गवाही को अस्वीकृत कर सही विवेचन किया है। उच्च न्यायालय द्वारा पी0ड0 2 की गवाही को खारिज करते हुये परिणामस्वरूप अभियुक्त को बरी किये जाने के जो कारण दिये गये है उसमें किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप करने की गुंजाईश एवं आवश्यकता नहीं है-साक्ष्य-चक्षुदर्शी साक्ष्य की गवाही एक क्रिकेट प्रतियोगिता में बाॅम्बे के जोगेश्वरी (पूर्व) इलाके में वहां के लडको ने भाग लिया। एक मामूली बात पर दो लडको के बीच झगडा शुरू हो गया उनमें से एक आरोपी का भाई था दूसरा मृतक का। इस विवाद को कथित तौर पर एक अन्य प्रतिभागी प्रत्यर्थी ने देखा, जिसने हस्तक्षेप किया और अपने भाई का पक्ष लेना शुरू कर दिया। किक्रेट क्लब के अन्य सदस्यों ने भी स्थिति को शांत करने के लिये हस्तक्षेप किया और प्रतिवादी प्रत्यर्थी आरोपी को मैदान से जाने के लिये कहा। या आरोप लगाया गया कि प्रतिवादी प्रत्यर्थी मैदान छोडकर चला गया लेकिन चाकू लेकर वापिस लौट आया और मृतक के पेट पर चाकू से वार कर दिया। मृतक जमीन पर गिर पडा। प्रतिवादी प्रत्यर्थी ने दूसरे को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी और भाग गया। मृतक को अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। बाद मंे पहला मुखबिर पी0ड0 1 पुलिस थाना गया और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। शव को पोस्टमार्टम

के लिये भेज दिया। जाचं अधिकारी ने गवाहो के बयान दर्ज किये और आरोपी को अगले दिन उसके आवास से गिरफ्तार कर लिया गया। उसके कपडें दो पंचो पी0ड0 8 व पी0ड0 9 की उपस्थिति में जब्ती पंचनामे के तहत संलग्न किये गये। अभियुक्त के कपडो पर खून के धब्बे पाये गये। पंचो की उपस्थिति में आरोपी से पूछताछ की गई और उसकी सूचना पर अपराध का हथियार बरामद किया। अनुसंधान पूरा होने के बाद अभियुक्त धारा 302 भा.द.सं. के तहत दण्डनीय अपराध के लिये आरोप पत्र महानगर मजिस्टेªट न्यायालय में दायर किया गया। विचारण न्यायालय में 12 गवाहो को परिक्षित किया हालांकि पी0ड0 2 के अलावा अन्य गवाहों ने दौराने अनुसंधान दिये गये बयानो से इन्कार कर दिया। पी0ड0 1 ने अभियोजन पक्ष के बयान का आंशिक रूप से समर्थन किया परन्तु यह दावा किया कि उसने घटना नहीं देखी थी। विचारण न्यायालय ने पी0ड0 2 के साक्ष्य पर भरोसा करते हुये अभियुक्त को धारा 302 भा.द.सं. के तहत दोषी ठहराते हुये आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार करते हुये पी0ड0 2 के साक्ष्य का विस्तार से विश्लेषण किया कि वह मृतक का करीबी रिश्तेदार था। हालांकि उच्च न्यायालय द्वारा पी0ड0 2 की गवाही को विश्वास करने योग्य नहीं माना और तदानुसार अभियुक्त को बरी करने का निर्देश दिया इस तरह यह अपील दायर की गई।

अपीलार्थी-राज्य ने तर्क दिया कि पी0ड0 2 द्वारा अभियुक्त को झूठा फंसाने का कारण नहीं और उसकी उपस्थिति स्वाभविक थी तथा जो पहलू उच्च न्यायालय द्वारा उजागर किये गये है वह किसी तर्कसंगत आधार पर स्थापित नहीं है।

अपील खारिज की गई, कोर्ट द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि

1.1 कोई भी रिश्तेदार घटना स्थल के पास नहीं आया। घायल को अस्पताल दूसरो के द्वारा ले जाया गया। उच्च न्यायालय ने यह अस्वाभविक पाया कि पी0ड0 2 ने चिकित्सा सहायता प्रदान करने की जहमत नही उठाई। उसने पुलिस को भी सूचना नहीं दी। उसने अपने घर जाने का दावा किया वह वापस आया या नहीं , यह एक अन्य संदिग्ध सवाल है क्योंकि उसने खुद जिरह में स्वीकार किया था कि वह घर पर रहा। जैसा कि उच्च न्यायालय ने यह पाया है कि यह करीबी रिश्तेदार का काफी अपराध अप्राकृतिक आचरण है कि वह रिश्तेदार को खून से लथपथ छोड देगा और उसे अस्पताल ले जाने की जहमत नहीं उठायेगा और ना ही वापस घटना स्थल पर नही लौटेगा। इसके अतिरिक्त उसके द्वारा पुलिस को सूचना नहीं देने का कृत्य भी एक प्रासंगिक कारक है। (पैरा 7) (401 डी,ई)

1.2 विचारण न्यायालय ने अभियुक्त के प्रकटीकरण के अनुसार तथाकथित अपराध के हथियार की खोज के तथ्य पर विश्वास किया। उच्च न्यायालय ने सही पाया कि चाकू एक खुले स्थान से पाया गया था और स्पष्ट रूप से

दिखाई दे रहा था। जांच अधिकारी ने स्वीकार किया कि किसी के भी द्वारा बिना ज्यादा प्रयास किये चाकू को देखा जा सकता था (पैरा 8) (401 एफ)

1.3 अनुसंधान अधिकारी ने. यह दावा किया कि उसने पी0ड0 2 के बयान घटना की तारीख को लेखबद्व किये थे परन्तु गवाह ने स्वयं ने यह कथन किया है कि बयान उस तारीख को नहीं हुये थे उच्च न्यायालय ने घटना के समय उसकी उपस्थिति को संदेहास्पद पाया और उसके आचरण को स्वाभविक एवं भरोसेमंद नहीं पाया और इसलिये अपील को स्वीकार किया। उच्च न्यायालय द्वारा कई अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को नोट कर पी0ड0 2 की गवाही को अस्वीकार किया। उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये कारण में हस्तक्षेप करने की कोई गुजांईश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उच्च न्यायालय द्वारा जो खामियां उजागर की उनका संचयी प्रभाव मामले की जड तक जाता है। ऐसी परिस्थितियों में उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निष्कर्षो में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाया गया (पैरा 9) (401-जीः 402-ए)

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील नं0 339/2002

उच्च न्यायालय बाॅम्बे के आपराधिक अपील संख्या 373/1996 में आदेश और निर्णय दिनांक 25.09.2000 से

रविन्द्र केशवराव अपीलार्थी के लिये।

यू.यू. ललित तथा अपर्णा भट्ट (माणिक करांजावाला) प्रत्यर्थी के

लिये

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

डाक्टर अरिजीत पसायत जे.

1. इस अपील में बाॅम्बे उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित निर्णय जिसमें प्रत्यर्थी राजू भास्कर पोटफोडे (जिसको आगे अभियुक्त के नाम से संबोधित किया जावेगा) को बरी किया गया, को चुनौती दी गई है। अभियुक्त को धारा 302 भा.द.सं. 1860 के तहत दोषी पाया गया तथा उसे आजीवन कारावास की सजा विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ग्रेटर बाॅम्बे द्वारा सेशन केस नं0 355/1993 में दी गई। आरोप जिस पर विचारण हुआ वह यह थे कि अभियुक्त ने दिनांक 07.02.1993 को समय सायं 4.30 बजे सुनिल गोरे (जिसको आगे मृतक के नाम से संबोधित किया जावेगा) की चाकू मारकर हत्या कर दी।

2. अभियोजन का मामला संक्षिप्त इस प्रकार है किः

07 फरवरी 1993 को साई कृपा क्रिकेट क्लब ने एकल विकट क्रिकेट प्रतियोगिता का साई मन्दिर समर्थ नगर मसजबाडी, जोगेश्वरीपुर केपास एक खुले मैदान पर प्रतियोगिता का आयोजन किया इस प्रतियोगिता में मसजबाडी इलाके के 44 लडके जिसमें प्रथम मुखबिर रविन्द्र नाथ दामले पी0ड0 1, उदय गोरे पी0ड0 2, अरूण रघुनाथ परांचपे पी0ड0 3, संतोष लड पी0ड0 4, गिरीश मोहतक भी प्रतिभागी थे। 9 बजे करीब लाॅट डा[a]

के पश्चात जिसमें किस खिलाडी को किसके साथ खेलना है तय किया गया एवं प्रतियोगिता शुरू की गई विजय पोटफोडे जो प्रत्यर्थी का भाई है तथा श्री ट्राय ने कथित तौर पर उस प्रतियोगिता में भाग लिया था। करीबन 4 बजे 44 में से 6 प्रतिभागी विजेता केरूप में निकले तथा उसमें विजय और ट्राय को एक दूसरे के साथ खेलना था चूंकि दोनो एक ही क्लब से थे उस कारण उन दोनो ने एक दूसरे के विरूद्व खेलने से इंकार कर दिया तथा डा में बदलाव का अनुरोध किया। मृ्तक सुनिल गोरे जिसकी जिम्मेदारी डा की थी हालांकि वह डा बदलने के लिये तैयार एवं सहमत नही था। मृतक सुनिल गौरे ने विजय से अपना नाम प्रतियोगिता से वापस लेने के लिये कहा और यदि वह ट्राय के साथ नहीं खेलना चाहता तो े उसकी सदस्यता वापस लेने को कहा। इससे उनमें आपस में कहासुनी हुई एवं कथित विवाद प्रत्यर्थी के भाई विजय द्वारा देखा जा रहा था जिसने विवाद में हस्तक्षेप कर अपने भाई विजय का पक्ष लिया। साई कृपा किक्रेट क्लब के अन्य सदस्यो ने विवाद में हस्तक्षेप कर और स्थिति को शांत करने के लिये प्रत्यर्थी को खेल मैदान छोडने को कहा आगे यह आरोप लगाया गया कि प्रत्यर्थी वहां से चला गया और वापस एक चाकू लेकर आया और सुनिल गोरे के पेट पर चाकू से वार किया जिससे सुनिल गोरे के चोटे आई और वह नीचे जमीन पर गिर गया। प्रत्यर्थी द्वारा कथित तौर पर सभी को पास नहीं आने की धमकी दी और चाकू के साथ भाग गया सुनिल गोरे को कूपर हास्पिटल ले जाया गया हालांकि उसे भर्ती करने से पूर्व ही मृत

घोषित कर दिया गया। दिनांक 07 फरवरी 1993 को प्रथम मुखबिर रविन्द्र नाथ पी0ड0 1 जोगेश्वरी पुलिस थाना गया और उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जो लिखित रूप में उदय भानू शर्मा पी0ड0 12 द्वारा दर्ज की गई। अपराध के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरूद्व ब्त् छव्ण्47ध्1993 अपराध जोगेश्वरी पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर दर्ज किया गया। श्री शर्मा पी0ड0 12 द्वारा अनुसंधान शुरू किया गया उसने अस्पताल का दौरा किया, उसने मृत शरीर का पंचनामा तैयार कराया जिस पर प्रदर्श 11 रचित किया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिये भिजवाया गया उसने घटना स्थल का दौरा किया और घटना स्थल का पंचनामा प्रदर्श 10 2 पंचो की उपस्थिति में तैयार कराया। पंचनामा रिकार्ड करने के पश्चात् अनुसंधान अधिकारी ने गवाहो के बयान लिये। 8 फरवरी 1993 को आरोपी राजू भास्कर पोटफोडे को उसके घर से गिरफ्तार किया गया उसे पुलिस थाना लाया गया। उसके कपडे पंचनामा प्रदर्श 34 में 2 पंच जार्ज एंथनी डिसूजा पी0ड0 8 और प्रदीप शंकर पी0ड0 9 की उपस्थिति में संलग्न किये गये, उसके कपडो पर खून के धब्बे थे कपडो को सील पैक एवं लेबल से पंचो के हस्ताक्षर के साथ पैक किया गया था अभियुक्त से पंचो की उपस्थिति में पूछताछ की गई । 11 फरवरी 1993 को अभियुक्त ने यह बयान दिया कि वह चाकू दिखा सकता है उसके बयान प्रदर्श 16 दर्ज किये गये। उसके बयानो के आधार पर अभियुक्त अनुसंधान अधिकारी एवं पंचो को शिवतकडी सतबाबडी स्थान पर लेकर गया।

अभियुक्त ने जिस स्थान को इंगित किया उस स्थान पर टार्च की सहायता से तलाशी की गई और वहां घास पर छुपा हुआ एक चाकू बरामद किया। उसे पंचनामा प्रदर्श 16ए में जब्त किया गया चाकू लेख 6 विचारण न्यायालय के समक्ष लाया गया। उसी दौरान मृतक का पोस्टमार्टम परीक्षण डाक्टर बबन श्रीपति सिंधे पी0डं0 7 द्वारा किया गया। मृतक के कपडे भी संलग्न किये गये पोस्टमार्टम नोट प्रदर्श 19 है। अभियुक्त के खून से सने हुये कपडे, चाकू लेख 6, मृतक के खून के नमूना और मृतक के कपडे रासायनिक विश्लेषक को भेजे गये। अनुसंधान पूर्ण होने पर अभियुक्त को उक्त अपराध के लिये महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया गया।

3. अभियुक्त ने बेगुनाह होना तथा झूठा आरोप लगाया जाना जाहिर किया। विचारण प्रारंभ किया गया। आरोप स्थापित करने के क्रम में 12 गवाहो को परीक्षित किया गयां। यह दावा किया गया कि पी0डं0 1 लगायत 4 क्रमशः उदय गोरे, अरूण रघुनाथ परांजपे, संतोश लड और गिरिश मोदक घटना के चश्मदीद गवाह थे विचारण के दौरान हालांकि पी0डं0 2 के अलावा सभी ने अपने अनुसंधान के दौरान के कथनो से इंकार कर दिया। पी0डं0 1 रविन्द्र नाथ दामले द्वारा आंशिक तौर पर अभियोजन की कहानी का समर्थन किया परन्तु दावा किया कि उसने घटना नहीं देखी थी। पी0डं0 3 व पी0डं0 4 द्वारा घटना देखे जाने से स्पष्ट तौर पर इंकार

किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा पी0ड0 2 की साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्वि की गई एवं सजा अधिरोपित की।

4. अभियुक्त-प्रत्यर्थी द्वारा उच्च न्यायालय में अपील दायर की गई। अपील में यह कथन किया गया कि पी0ड0 2 की गवाही में विश्वसनीयता का अभाव है और वह विश्वसनीय गवाह नहीं है। राज्य की और से यह तर्क दिया कि पी0ड0 2 मृतक का करीबी रिश्तेदार था और उसके द्वारा अभियुक्त को झूठा फंसाया जाने का कोई कारण नही है। उच्च न्यायालय द्वारा पी0ड0 2 की साक्ष्य को गहनता से विश्लेषण किया कि पी0ड0 2 मृतक का रिश्तेदार है हालांकि उच्च न्यायालय द्वारा पी0ड0 2 की गवाही को विश्वास योग्य नही माना गया और तदानुसार अभियुक्त को बरी किया गया।

5. अपीलार्थी राज्य की और से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया कि पी0ड0 2 के पास ऐसा कोईकारण नही है जिससे वह अभियुक्त को झूठा फंसाये। उसकी उपस्थिति स्वाभविक थी और जो पहलू उच्च न्यायालय द्वारा पी0ड0 2 की साक्ष्य की विश्वसनीयता के बारे में जारी किये है वह किसी तर्कसंगत आधार पर स्थापित नहीं है। दूसरी और प्रत्यर्थी-अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश का समर्थन किया गया।

6. उच्च न्यायालय द्वारा पी0ड0 2 की साक्ष्य की विश्वसनीयता पर संदेह मानते हुये कही पहलुओं को उजागर किया । प्रथमतः यह कि उसका नाम

प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है। इसके अतिरिक्त घटना के समय उसका आचरण उसके कथनों की विश्वसनीयता को खंडित कर देता है। उसने स्वीकार किया है कि उसने मृतक को इस बारे में सूचित नहीं किया था कि अभियुक्त हाथ में चाकू लेकर मृतक को क्षति पहुंचाने की धमकी देता हुआ रहा है। इसके अतिरिक्त उसका आचरण अप्राकृतिक रहा क्योंकि उसके द्वारा न तो मृतक को अस्पताल ले जाया गया और ना ही पुलिस थाना ले जाया गया तथा उसने कथन किया कि वह सीधा अपने घर चला गया। वह मृतक को न तो नजदीक स्थित अस्पताल लेकर गया और न ही उसने नजदीक स्थित पुलिस थाने में किसी पुलिस को घटना के बारे में सूचना दी। गवाह के कथन इस तथ्य पर विसंगत रहे कि वह मृतक को घायल अवस्था में छोडकर वापस घर से आया या नहीं। उसके द्वारा एक और यह कथन किया गया कि दस मिनट पश्चात् आया था परन्तु जिरह ने यह स्वीकार किया कि वह वापस नही आया था।

7. अपीलार्थी की और से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्कदिया गया कि वह अपने रिश्तेदारो को खबर देने गया था। उल्लेखनीय है कि कोई भी रिश्तेदार घटना स्थल के पस नही आया। घायल को अस्पलाल भी किसी और के द्वारा ले जाया गया। उच्च न्यायालय द्वारा इस तथ्य को अप्राकृतिक पाया कि पी0ड0 2 द्वारा चिकित्सकीय सहायता दिलवाने की भी जहमत नही उठाई गई। उसने पुलिस को भी सूचना नही दी उसने घर जाने का

दावा किया। वो वापस आया या नहीं यह भी एक संदिग्ध प्रश्न है क्योंकि जैसा कि पूर्व में पाया गया कि उसने स्वयं ने जिरह में यह स्वीकार किया है कि वह घर पर ही रहा। उच्च न्यायालय द्वारा इस तथ्य को काफी असाधारण आचरण होना पाया कि करीबी रिश्तेदार अपने रिश्तेदार को खून में लथपथ छोड गया और उसे अस्तपाल पहुंचाने की जहमत भी नही उठाई। और घटना स्थल छोडने पर पुनः वापस भी नही आया। इसी क्रम में पुलिस को सूचना नही देना भी एक सुसंगत तथ्य है।

8. विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त की सूचना के अनुसार तथाकथित खोज पर जब्त हथियार पर विश्वास किया गया। उच्च न्यायालय द्वारा यह भली भांति पाया कि चाकू एक खुले स्थान पर मिला था तथा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। अनुसंधान अधिकारी द्वारा भीयह स्वीकार किया गया है कि कोई भी बिना किसी ज्यादा प्रयास के चाकू को देख सकता था।

9. अनुसंधान अधिकारी द्वारा यह दावा कियागया कि उसने गवाह के बयान घटना की दिनांक को लेखबद्व किये थे परन्तु गवाह ने स्वयं ने यह कथन कियाहै कि उस दिन बयान नहीं हुए थे। उच्च न्यायालय द्वारा घटना के समय उसकी उपस्थिति को भी काफी संदेहास्पद माना है। उच्च न्यायालय द्वारा उसका आचरण असाधारण एवं विश्वास किये जाने योग्य नहींमाना है और इस प्रकार यह अपील स्वीकार की गई। अन्य कई महत्वपूर्ण पहलुओं को उच्च न्यायालय द्वारा पी0ड0 2 की गवाही को अस्वीकार करने के

सम्बन्ध में उल्लेखित किये है। उल्लेखित कारण किसी भी प्रकार की दुर्बलता नही रखते है जिसके कारण हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक हो। उच्च न्यायालय द्वारा जिन कमियों को उल्लेख किया गया है वह मामले की जड तक जाते है। उक्त परिस्थितियों में हमारे समक्ष ऐसा कोई कारण नहीं है जिससे उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निष्कर्षो में फेरबदल या हस्तक्षेप किया जावे। अपील आधारहीन है और अस्वीकार की जाती है।

एस.के.एस.

अपील अस्वीकार

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी मयंक पालीवाल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।